

## हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-4, 17 अगस्त, 2009

**संख्या: वि०स०-लैज-गवरनमेंट बिल/1-30/2009.**—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) विधेयक, 2009 (2009 का विधेयक संख्यांक 9) जो आज दिनांक 17 अगस्त, 2009 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

आदेश द्वारा,  
गोवर्धन सिंह,  
सचिव ।

2009 का विधेयक संख्यांक 9

### हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) विधेयक, 2009

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य में विद्युत के उपभोग या प्रदाय पर विद्युत शुल्क के उद्ग्रहण के लिए उपबन्ध करने हेतु विधि पुनः अधिनियमित करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए **विधेयक ।**

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

**1. संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 है ।

**2. परिभाषाएं.**—इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "परिषद्" से निरसित किए गए विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 54) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् अभिप्रेत है;
- (ख) "उपभोक्ता" से कोई व्यक्ति या स्थापन अभिप्रेत है, जो ऊर्जा का उपयोग या उपभोग करता है और जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन विनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं के प्रवर्ग भी हैं;
- (ग) विद्युत के सम्बन्ध में "उपभोग" से किसी अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता द्वारा के.डब्ल्यू. एच. या के. वी. ए. एच. के रूप में अभिलिखित प्रति किलोवाट/के.वी.ए. विद्युत का उपभोग अभिप्रेत है;

- (घ) "ऊर्जा" से विद्युत ऊर्जा अभिप्रेत है;
- (ङ) "निरीक्षण अधिकारी" से राज्य सरकार द्वारा धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन इस रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (च) "मीटर" से एकीकृत करने वाले उपकरणों का सैट अभिप्रेत है, जिसे प्रदाय की गई विद्युत ऊर्जा की मात्रा या प्रदाय में अन्तर्विष्ट विद्युत ऊर्जा की मात्रा (परिमाण) को, दिए गए समय में मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिसके अन्तर्गत होल करन्ट मीटर और मीटरिंग उपकरण जैसे कि आवश्यक वायरिंग और उपसाधनों सहित करन्ट ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर या पोटेन्शियल या वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी है;
- (छ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ज) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (झ) "राज्य सरकार" या "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
- (ञ) विद्युत के सम्बन्ध में "प्रदाय" से अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता को विद्युत का विक्रय अभिप्रेत है; और
- (त) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो विद्युत अधिनियम, 2003 या भारतीय विद्युत नियम, 1956 में उनके हैं।

**3. ऊर्जा के उपभोग या प्रदाय पर विद्युत शुल्क का उद्ग्रहण.—**(1) किसी भी स्रोत से उत्पादित ऊर्जा, जिसका परिषद्, किसी अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत व्यापारी या विद्युत उत्पादन करने वाली कम्पनी द्वारा उपभोग किया गया है या जिसका परिषद्, ऐसे अनुज्ञप्तिधारी, व्यापारी या कम्पनी द्वारा उपभोक्ता को प्रदाय किया गया है, पर विद्युत शुल्क के नाम से शुल्क, निम्नलिखित रीति में उद्गृहीत किया जाएगा और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा:—

- |       |  |   |                       |
|-------|--|---|-----------------------|
| (i)   | घरेलू उपभोक्ताओं से                                      | — | तीन प्रतिशत की दर से, |
| (ii)  | गैर-घरेलू गैर-वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से                    | — | तीन प्रतिशत की दर से, |
| (iii) | कृषि/सिंचाई या सहबद्ध क्रियाकलाप प्रदाय के उपभोक्ताओं से | — | दस प्रतिशत की दर से,  |
| (iv)  | वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से                                  | — | आठ प्रतिशत की दर से,  |
| (v)   | औद्योगिक उपभोक्ता,—                                      |   |                       |
|       | (क) लघु औद्योगिक उपभोक्ताओं से                           | — | नौ प्रतिशत की दर से,  |

(ख)	मध्यम दर्जे के और बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं से	—	तेरह प्रतिशत की दर से,
(vi)	वाटर पम्पिंग सप्लाई उपभोक्ताओं से	—	दस प्रतिशत की दर से,
(vii)	बल्क सप्लाई उपभोक्ताओं से	—	दस प्रतिशत की दर से,
(viii)	स्ट्रीट लाईटिंग सप्लाई उपभोक्ताओं से	—	दस प्रतिशत की दर से,
(ix)	टम्परेरी मीटरड सप्लाई उपभोक्ताओं से	—	चार प्रतिशत की दर से,
(x)	उपरोक्त खण्ड (i) से (ix) के अन्तर्गत न आने वाले उपभोक्ताओं के अन्य प्रवर्गों से	—	दस प्रतिशत की दर से, और
(xi)	डीजल जनरेटिंग सैटों द्वारा, (या किसी भी प्रकार की अन्य रीति द्वारा), ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण में प्रयोग हेतु या अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता के अपने उपभोग के लिए केपटिव/स्टैंडबाई हेतु, उत्पादित विद्युत ऊर्जा की दशा में, प्रति यूनिट विद्युत शुल्क।	—	तीस पैसे की दर से:

परन्तु प्रत्येक प्रवर्ग के सामने वर्णित प्रतिशतता, केवल ऊर्जा प्रभारों (मीटर किराया, सेवा प्रभारों आदि को अपवर्जित करके) पर लागू होगी।

(2) धारा 3 की कोई भी बात, विद्युत के उपभोग या विक्रय के लिए लागू नहीं होगी जो,—

- (क) भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा उपभुक्त हो या भारत सरकार या भारतीय संघ के राज्य क्षेत्रों के भीतर अन्य सरकार (सरकारों) को, उस सरकार द्वारा या ऊर्जा सेक्टर में लगी हुई अन्य उपयोगिताओं द्वारा उपभोग हेतु या विक्रय हेतु, विक्रीत की गई हो; या
- (ख) भारत सरकार द्वारा किसी रेल के सन्निर्माण, रख-रखाव या चलाने (संचालन) में या उस रेल को चलाने (संचालन करने) वाली रेल कम्पनी द्वारा उपभुक्त हो या उस

सरकार या ऐसी किसी रेल कम्पनी को किसी रेल के सन्निर्माण, रख-रखाव या चलाने (संचालन) हेतु उपभोग करने के लिए विक्रय की गई हो; या

- (ग) किसी अनुज्ञप्तिधारी या ऊर्जा का उत्पादन करने वाले उपभोक्ता द्वारा, उसके अपने उपभोग के लिए उपभुक्त हो; परन्तु जनरेटर की क्षमता दस किलोवाट से अधिक न हो।

(3) विद्युत शुल्क की संगणना के प्रयोजन के लिए धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी होने के पश्चात्, मीटर द्वारा दर्शाई गई खपत, मीटर की प्रथम रीडिंग की तारीख के पश्चात् आरम्भ करते हुए गणना में ली जाएगी।

**4. विद्युत शुल्क का संग्रहण और संदाय.—**(1) राज्य सरकार का विद्युत शुल्क पर प्रथम प्रभार होगा और न तो परिषद् और न ही कोई अनुज्ञप्तिधारी, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना इस शुल्क का उपयोग किसी भी रकम, जो राज्य सरकार द्वारा परिषद् या अनुज्ञप्तिधारी/या किसी अन्य अभिकरण को देय हो, की प्रतिपूर्ति स्वयं को करने के लिए करेगा।

(2) परिषद् या विद्युत का उपभोग करने वाले या उपभोग के लिए इसका प्रदाय करने वाले अनुज्ञप्तिधारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपनी खपत या प्रदाय के क्षेत्र के समस्त उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क का संदाय या संग्रहण, ऐसे प्ररूप में करे और राज्य सरकार को उसका संदाय तिमाही पर या ऐसी रीति में करे, जैसी विहित की जाए।

(3) अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता द्वारा जनरेटिंग सैटों, चाहे किसी भी रीति (ढंग) से, के माध्यम से, अपने उपभोग के लिए विद्युत ऊर्जा के आबद्ध (केपटिव) या तैयार (स्टैंडबाई) उत्पादन की दशा में विद्युत शुल्क, यदि कोई हो, सम्बद्ध उपभोक्ता द्वारा तिमाही पर, राज्य सरकार के पास विद्युत निरीक्षणालय के माध्यम से, ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, सीधे जमा किया जाएगा।

**5. अभिलेख और विवरणियां.—**(1) यदि राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसा निदेश दे, तो विद्युत का प्रदाय, क्रय, उत्पादन या पारेषण करने वाली परिषद् या अनुज्ञप्तिधारी या कोई व्यक्ति, ऐसा अभिलेख, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में रखेगा, जैसी विहित की जाए, जिसमें निम्नलिखित दर्शित हो—

- (क) अपने उपभोग के लिए अथवा किसी उपभोक्ता या अनुज्ञप्तिधारी को प्रदाय के लिए उत्पादित, पारेषित या प्राप्त विद्युत के यूनिट;

(ख) किसी उपभोक्ता को प्रदाय किए गए या उसके द्वारा उपभुक्त विद्युत के यूनिट;

(ग) उस पर देय विद्युत शुल्क की रकम और इस अधिनियम के अधीन उस द्वारा संदत्त या वसूल किया गया विद्युत शुल्क; और

(घ) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं।

(2) विद्युत का उत्पादन या क्रय करने वाली परिषद्, अनुज्ञप्तिधारी या कोई व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन ऐसा अभिलेख रखने के लिए निदेश दिया गया है, ऐसी

विवरणियां, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में ऐसे प्राधिकारी (अथारिटी) को, जो विहित किया जाए, प्रस्तुत करेगा।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के प्रयोजनों के लिए ऊर्जा की मात्रा, मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा, ऐसी रीति में अभिनिश्चित की जाएगी, जैसी विहित की जाए।

**6. निरीक्षण अधिकारी.—**(1) राज्य सरकार, धारा 5 के अधीन रखे गए अभिलेख और विवरणियों के निरीक्षण के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा मुख्य विद्युत निरीक्षक तथा मुख्य विद्युत निरीक्षक की सहायता के लिए किसी अन्य अधिकारी को, निरीक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(2) निरीक्षण अधिकारी, इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जैसी विहित की जाएं।

**7. कतिपय मामलों में शास्तिक शुल्क का दिया जाना.—**(1) यदि निरीक्षण अधिकारी की राय में, यथास्थिति, परिषद् या अनुज्ञप्तिधारी या विद्युत व्यवसायी या उत्पादन करने वाली कम्पनी या उपभोक्ता, शुल्क के संदाय की अपवंचना करता है या अपवंचन करने का प्रयास करता है या जानबूझकर लोप अथवा उपेक्षा करता है, चाहे मिथ्या अभिलेख रखकर या छलसाधन करके या मिथ्या विवरणियां प्रस्तुत करके या उपभुक्त ऊर्जा को छिपाकर या किसी अन्य साधन द्वारा, तो, यथास्थिति, परिषद्, अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत व्यवसायी, उत्पादन करने वाली कम्पनी या उपभोक्ता इस अधिनियम के अधीन संदेय शुल्क के अतिरिक्त शास्ति के रूप में विद्युत शुल्क की राशि के चार गुणा से अनधिक, ऐसी रकम का संदाय करेगा, जो निरीक्षण अधिकारी द्वारा, इस सम्बन्ध में आदेश पारित करके अवधारित की जाए:

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई भी शास्ति, यथास्थिति, परिषद्, अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत व्यवसायी, उत्पादन करने वाली कम्पनी या उपभोक्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील, ऐसे प्राधिकारी को, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी फीस के संदाय पर होगी, जैसी विहित की जाए।

(3) उपधारा (2) के अधीन अपील में पारित कोई आदेश, विवाद के पक्षकारों पर अन्तिम और आबद्धकर होगा।

(4) इस धारा के अधीन किसी भी शास्ति के संदाय के लिए किया गया आदेश, इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, संस्थित किए जा सकने वाले या अधिरोपित किए जाने वाले किसी अभियोजन और अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

**8. शुल्क की वसूली.—**(1) इस अधिनियम के अधीन देय कोई भी विद्युत शुल्क या धारा 7 के अधीन अधिरोपित शास्ति, जो चाहे किसी उपभोक्ता द्वारा परिषद् को या वितरण करने वाले अनुज्ञप्तिधारी को, अथवा परिषद् या वितरण करने वाले अनुज्ञप्तिधारी द्वारा राज्य सरकार को, असंदत्त रहती है, भू-राजस्व की बकाया के रूप में या राज्य सरकार द्वारा परिषद् या वितरण करने वाले अनुज्ञप्तिधारी या ऐसे उपभोक्ता को संदेय रकमों में से कटौती द्वारा, वसूलीय होगी।

(2) जब किसी विद्युत शुल्क या शास्ति की रकम देय हो गई हो परन्तु संदत्त नहीं की गई हो, तो निरीक्षण अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन इस बाबत बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन, देय रकम की वसूली करने के लिए कलक्टर को आवेदन करेगा, मानो यह भू-राजस्व का बकाया हो।

(3) उपधारा (2) के अधीन किए गए आवेदन में निम्नलिखित विवरण होंगे:—

- (i) व्यतिक्रमी का नाम और विवरण;
- (ii) बकाया की रकम, जिसकी वसूली अपेक्षित है; और
- (iii) परिस्थितियां, जिनके कारण आवेदन आवश्यक हुआ।

(4) आवेदन की प्राप्ति पर कलक्टर, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अधीन रकम को भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने की प्रक्रिया आरम्भ करेगा।

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, परिषद् या किसी अनुज्ञप्तिधारी या विद्युत व्यवसायी या उत्पादन करने वाली कम्पनी की जंगम (चल) और स्थावर (अचल) सम्पत्ति, किसी भी न्यायालय की डिक्री या आदेश के निष्पादन में लिए जाने के लिए तब तक दायी नहीं होगी जब तक, यथास्थिति, परिषद् या अनुज्ञप्तिधारी या विद्युत व्यवसायी या उत्पादन करने वाली कम्पनी द्वारा संदेय विद्युत शुल्क, राज्य सरकार को संदत्त न कर दिया गया हो।

**स्पष्टीकरण.**—पद “कलक्टर” का वही अर्थ होगा जो हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 में उसका है।

**9. शुल्क के असंदाय पर प्रदाय को काटने की शक्ति.**—जहां उपभोक्ता उस विद्युत की बाबत, जिसका प्रदाय उसे किया गया है, उस द्वारा देय विद्युत शुल्क का संदाय करने में असफल रहता है तो, यथास्थिति, परिषद् या विद्युत का प्रदाय करने वाला वितरण अनुज्ञप्तिधारी, कम से कम पन्द्रह दिन का लिखित में नोटिस देने के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति के विद्युत प्रदाय को तब तक के लिए काट सकेगा जब तक सम्पूर्ण विद्युत शुल्क संदत्त नहीं कर दिया जाता।

**10. शास्तियां.**—यदि कोई व्यक्ति—

- (क) जिससे धारा 5 के अधीन अभिलेख रखने या विवरणियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है, उन्हें विहित प्ररूप या रीति में रखने या प्रस्तुत करने में असफल रहता है या ऐसी विवरणी प्रस्तुत करता है जो मिथ्या है; या
- (ख) किसी निरीक्षण अधिकारी को, इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन, उसकी शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यपालन में साशय बाधा पहुंचाता है; या
- (ग) इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसा जुर्माना, जैसा विहित प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए, जो एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगा, संदत्त करने के लिए दायी होगा।

**11. विद्युत शुल्क के संदाय से छूट देने की शक्ति.**—(1) राज्य सरकार, लोकहित में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता या व्यक्ति को, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्त के अधीन, जैसी ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, संपूर्ण विद्युत शुल्क या उसके भाग के संदाय से छूट प्रदान कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विद्युत शुल्क की दरों को, किसी एक समय में, धारा 3 के अधीन विनिर्दिष्ट दरों के पचास प्रतिशत से अधिक पुनरीक्षित नहीं कर सकेगी।

**12. निरीक्षण अधिकारियों का लोक सेवक होना.**—इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन नियुक्त प्रत्येक निरीक्षण अधिकारी के बारे में, जब वह इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अनुसरण में कोई कार्य कर रहा है या उसका कार्य करना तात्पर्यित है, यह समझा जाएगा कि वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक है।

**13. इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति.**—इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां, किसी व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित नहीं की जाएंगी।

**14. सरकार की पूर्व मंजूरी.**—इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा।

**15. नियम बनाने की शक्ति.**—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

- (क) धारा 3 और 4 के अधीन विद्युत शुल्क के संदाय तथा संग्रहण की रीति;
- (ख) प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अभिलेख अनुरक्षित रखा जाएगा;
- (ग) धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन विशिष्टियों का विहित किया जाना;
- (घ) विवरणियां प्रस्तुत करने की रीति और प्राधिकारी (अथॉरिटी), जिसे धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन इन्हें प्रस्तुत किया जाना है;
- (ङ) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन निरीक्षण अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और पालन किए जाने वाले कर्तव्य;
- (च) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकारी (अथॉरिटी), जिसे अपील की जाएगी, अवधि जिसके भीतर अपील की जाएगी और ऐसी अपील को दाखिल करने के लिए फीस;

(छ) प्राधिकारी (अथॉरिटी), जिसके द्वारा धारा 10 के अधीन जुर्माना अवधारित किया जाना है ;और

(ज) कोई अन्य मामला, जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना अपेक्षित है या जिसे विहित किया जा सकेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया है, या पूर्वोक्त सत्रों के अवसान से पूर्व, विधान सभा नियम में कोई परिवर्तन करती है, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा यह विनिश्चय करती है या यह निर्णय लेती है कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमाम्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**16. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति.**—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

**17. निरसन और व्यावृत्तियां.**—(1) हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1975 (1975 का 11) का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी की गई या किए जाने के लिए आशयित कोई बात या कार्रवाई, उद्गृहीत किया गया विद्युत शुल्क, बनाया गया नियम, जारी की गई अधिसूचना, किया गया निरीक्षण, किया गया आदेश या जारी किया गया नोटिस, जहां तक यह इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, प्रवृत्त बना रहेगा और इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा या के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई या की गई समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम, उस तारीख जिसको ऐसी बात या ऐसी कार्रवाई की गई थी, प्रवृत्त था, जब तक इसे इस अधिनियम द्वारा या के अधीन अधिक्रान्त नहीं कर दिया जाता और इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन देय विद्युत शुल्क और अन्य रकम संगृहीत की जा सकेगी मानो यह इस अधिनियम के अधीन प्रोद्भूत हुई हो।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

जब से हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1975 अधिनियमित हुआ है तब से सरकार के विभिन्न नीति निर्णयों में समय-समय पर कई परिवर्तन हुए हैं। बदलते परिवेश के साथ विद्यमान अधिनियम को और अधिक प्रभावी तथा व्यापक विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अनिवार्य हो गया है। इसलिए विद्यमान हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1975 को निरसित करने और हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) विधेयक, 2009 लाने का विनिश्चय किया गया है, जो भिन्न-भिन्न मापमानों (स्केलज) पर उपभोक्ताओं के विभिन्न प्रवर्गों से विद्युत शुल्क उद्गृहीत करने और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा संशोधित टैरिफ (शुल्क) के कार्यान्वयन का, प्रभावी तारीख से प्रतिशतता के आधार पर विद्युत शुल्क में पश्चात्पूर्ति पुनरीक्षण (संशोधन) करने के लिए उपबन्ध कर सकेगा। इसके अतिरिक्त अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए शास्तिक उपबन्ध को और अधिक कठोर बनाया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,  
मुख्य मन्त्री।

शिमला:  
तारीख: .....2009

## वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 3 उपभोक्ताओं के विभिन्न प्रवर्गों द्वारा विद्युत के उपभोग पर, प्रतिशतता के आधार पर विद्युत शुल्क का उद्ग्रहण करने के लिए है, जिससे राजकोष को प्रतिवर्ष लगभग अट्ठाईस करोड़ की प्राप्ति होने की संभावना है।

## प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 15 राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। शक्तियों का यह प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

## भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(नस्ति संख्या : एम.पी.पी.-ए (4)-11/2008)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) विधेयक, 2009 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं।

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**Bill No. 9 of 2009**

**THE HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY (DUTY) BILL, 2009**

( AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY )

A

**BILL**

*to re-enact the law to provide for the levy of Electricity Duty on consumption or supply of electricity in the State of Himachal Pradesh and matters connected therewith or incidental thereto.*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixtieth Year of Republic of India as follows :-

**1. Short title.**—This Act may be called the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009.

**2. Definitions.**—In this Act, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Board" means the Himachal Pradesh State Electricity Board constituted under sub-section (1) of section 5 of the repealed Electricity (Supply) Act, 1948 (Act No. 54 of 1948);
- (b) "consumer" means any person or establishment who uses or consumes energy and includes categories of consumers specified under section 3 of this Act ;
- (c) "consumption" in relation to electricity means electrical consumption per Kilowatt/KVA recorded as KWh or KVAh. by a licensee or consumer;
- (d) "energy" means electric energy;
- (e) "Inspecting Officer" means a person appointed as such by the State Government under sub-section (1) of section 6;
- (f) "meter" means a set of integrating instruments used to measure the amount of electrical energy supplied or the quantity of electrical energy contained in the supply, in a given time, which include whole current meter and metering equipment such as current transformer, capacitor voltage transformer or potential or voltage transformer with necessary wiring and accessories;

- (g) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
- (h) “section” means section of this Act;
- (i) “State Government” or “Government” means the Government of Himachal Pradesh;
- (j) “supply” in relation to electricity means the sale of electricity to a licensee or consumer; and
- (k) the words and expressions used in this Act, but not defined shall have the meanings as assigned to them in the Electricity Act, 2003 or the Indian Electricity Rules, 1956.

**3. Levy of electricity duty on consumption or supply of energy.**—(1) There shall be levied and paid to the State Government on the energy, generated from any source, consumed by the Board, any licensee, electricity trader or generating company or supplied by the Board, such licensee, trader or company to the consumer, a duty to be called the electricity duty, in the following manner, namely:-

- (i) domestic consumers - @ 3%,
- (ii) non domestic non commercial consumers - @ 3%,
- (iii) agricultural/irrigation or allied activities supply consumers- -@ 10%,
- (iv) commercial consumers - @ 8%
- (v) industrial consumers,—
  - (a) small industrial consumers - @ 9%,
  - (b) medium and large industrial consumers - @ 13%,
- (vi) water pumping supply consumers - @ 10%,
- (vii) bulk supply consumers - @ 10%,
- (viii) street lighting supply consumers - @ 10%,
- (ix) temporary metered supply consumers - @ 4%,
- (x) other category of consumers not covered under clauses (i) to (ix) above - @ 10% and ,
- (xi) In case of electrical energy generated by diesel

generating sets (or by what so ever mode) for  
use of construction of power projects or captive/  
standby for own consumption by the licensee  
or consumer, electricity duty per unit

-@ 30 paise:

Provided that the percentage mentioned against each categories  
shall be applicable on energy charges only (excluding meter rent, service charges etc.).

(2) Nothing in section 3 shall apply to the consumption or sale of electricity  
which is—

- (a) consumed by the Government of India, State Government or sold to the Government of India or other Government(s) within the territories of Indian Union for consumption or sale by that Government or other utilities engaged in power sector; or
- (b) consumed in the construction, maintenance or operation of any railway by the Government of India or a railway company operating that railway, or sold to that Government or any such railway company for consumption in the construction, maintenance or operation of any railway; or
- (c) consumed by a licensee or by consumer generating energy for their own consumption; provided the capacity of generator does not exceed 10 KW.

(3) For the purpose of computing the electricity duty, the consumption shown by the meter, starting after the first meter reading date, after the issuance of the notification under sub-section (1) of section 3 shall be taken into account.

**4. Collection and payment of electricity duty.**—(1) The State Government shall have the first charge on the electricity duty and neither the Board nor any licensee shall, without the previous sanction of the State Government, utilize this duty to reimburse itself for any amount, which the State Government may owe to the Board or the licensee/ or any other agency.

(2) It shall be the duty of the Board or the licensee consuming or supplying electricity for consumption to pay or collect the electricity duty from all the consumers in its area of consumption or supply in such form and pay the same to the State Government quarterly or in such manner, as may be prescribed.

(3) In case of captive or standby generation of electrical energy for own consumption through generating sets, by whatsoever mode, by the licensee or consumer, electricity duty, if any, shall be deposited quarterly by the concerned consumer directly to the State Government through Electrical Inspectorate in such manner as may be prescribed.

**5. Record and returns.**—(1) If the State Government so directs, by a general or special order, the Board or a licensee or a person supplying, purchasing, generating or transmitting electricity, shall maintain such record, in such form and in such manner, as may be prescribed, showing -

- (a) the units of electricity generated, transmitted or received for own consumption or for supply to any consumer or licensee;
- (b) the units of electricity supplied to any consumer or consumed by it or him;
- (c) the amount of electricity duty payable thereon and the electricity duty paid or recovered by him, under this Act; and
- (d) such other particulars, as may be prescribed.

(2) The Board, the licensee or the person generating or purchasing electricity, directed by the State Government under sub-section (1) to maintain records, shall submit such returns in such form and in such manner and to such authority, as may be prescribed.

(3) For the purposes of clauses (a) and (b) of sub-section (1), the amount of energy shall, be ascertained by the Chief Electrical Inspector in such manner as may be prescribed.

**6. Inspecting Officers.**— (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint Chief Electrical Inspector and any other officer, to assist the Chief Electrical Inspector, to be the Inspecting Officer to inspect records and returns maintained under section 5.

(2) The Inspecting Officer shall perform such duties and exercise such powers, as may be prescribed, for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act and the rules made thereunder.

**7. Penal duty to be paid in certain cases.**—(1) If in the opinion of the Inspecting Officer, the Board or the licensee or the electricity trader or the generating company or the consumer, as the case may be, evades or attempts to evade or wilfully omits or neglects the payment of duty, whether by maintaining or manipulating false records or by submitting false returns or by concealing the energy consumed or by any other means, the Board, the licensee, the electricity trader, the generating company or the consumer, as the case may be, shall pay by way of penalty, in addition to the duty payable under this Act, a sum not exceeding four times the amount of the electricity duty, as may be determined by the Inspecting Officer, by passing an order in this regard:

Provided that no penalty under this sub-section shall be imposed without affording a reasonable opportunity of being heard to the Board, the licensee, the electricity trader, the generating company or the consumer, as the case may be.

(2) An appeal shall lie against an order passed under sub-section (1) to such authority within such period and on payment of such fee, as may be prescribed.

(3) An order passed on appeal under sub-section(2), shall be final and binding on the parties to the dispute.

(4) An order for the payment of any penalty, made under this section, shall be without prejudice to any prosecution and other penalty which may be instituted or imposed, as the case may be, under this Act.

**8. Recovery of duty.**—(1) Any electricity duty due under this Act, or penalty imposed under section 7, which remains unpaid, whether by a consumer to the Board or to the distributing licensee, or by the Board or the distributing licensee to the State Government, shall be recoverable as an arrears of land revenue or by deduction from the amounts payable by the State Government to the Board or the distributing licensee or such consumer.

(2) When any sum of electricity duty or penalty has fallen due, but has not been paid, the Inspecting Officer may, subject to the provisions of the rules made in this behalf under this Act, make an application to the Collector to recover the sum due as if it were an arrears of land revenue.

(3) An application made under sub-section (2), shall state—

- (i) the name and description of the defaulter,
- (ii) the amount of arrear of which recovery is required; and
- (iii) the circumstances, which have made the application necessary.

(4) On receipt of the application, the Collector shall proceed to recover the amount as arrears of land revenue under the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954.

(5) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the moveable and immoveable property of the Board or any licensee, or electricity trader or a generating company shall not be liable to be taken in execution of a decree or order of any court, until the electricity duty payable by the Board or the licensee or the electricity trader or the generating company, as the case may be, to the State Government has been paid.

**Explanation.**—The expression “Collector” shall have the same meaning as assigned to it under the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954.

**9. Power to disconnect supply for non payment of duty.**—Where the consumer fails to pay the electricity duty due from him in respect of the electricity

supplied, the Board or the distribution licensee supplying electricity, as the case may be, may, after giving not less than fifteen days notice in writing, cut off the electricity supply to such person, until the entire electricity duty is paid.

**10. Penalties.**—If any person-

- (a) required under section 5 to maintain records or to submit returns, fails to keep or submit the same in the prescribed form or manner or submit a return which is false, or
- (b) intentionally obstructs an Inspecting Officer in the exercise of his powers and discharge of his duties under this Act and the rules made thereunder, or
- (c) contravenes any of the provisions of this Act or the rules made thereunder, shall be liable to pay fine, not exceeding one lac rupees, as may be determined by the prescribed authority.

**11. Power to exempt from payment of electricity duty.**—(1) The State Government may, in public interest, by notification in the Official Gazette, exempt any licensee, consumer or person from the payment of the whole or part of the electricity duty for such period and subject to such conditions as may be specified in such notification.

(2) The State Government may, by notification, revise the rates of electricity duty not exceeding 50% at any one time, of the rates specified under section 3.

**12. Inspecting Officers to be public servants.**—Every Inspecting Officer, appointed under section 6 of this Act, shall be deemed, while acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, to be public servant within the meaning of section 21 of Indian Penal Code, 1860.

**13. Indemnity to persons acting under this Act.**—No suit, prosecution or other legal proceedings shall be instituted against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

**14. Previous sanction of the Government.**—No prosecution for any offence, punishable under this Act shall be instituted, except with the previous sanction of the State Government.

**15. Power to make rules.**—(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying into effect the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) the manner of payment and collection of electricity duty under sections 3 and 4;
- (b) the form and manner in which record shall be maintained under sub-section (1) of section 5;
- (c) prescription of particulars under clause (d) of sub-section (1) of section 5;
- (d) the manner of submitting the returns and the authority to whom these are to be submitted under sub-section (2) of section 5;
- (e) the powers and duties to be exercised and performed by the Inspecting Officers under sub-section (2) of section 6;
- (f) the authority to whom appeal shall lie, the period within which appeal shall lie and the fee for filing such appeal under sub-section (2) of section 7;
- (g) the authority by whom the fine is to be determined under section 10; and
- (h) any other matter required to be prescribed or which may be prescribed by or under this Act.

(3) Every rule made under this section, shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly while it is in session for a total period of not less than ten days which may be comprised in one session or two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions as aforesaid, the House agrees in making any modification in the rule or the House agrees that the rule should not be made, the rule shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

**16. Power to remove difficulties.**—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty.

(2) Every order made under this section, shall be laid, as soon as after it is made, before the State Legislative Assembly:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

**17. Repeal and savings.**—(1) The Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 1975 (11 of 1975) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken or purported to have been done or taken, any electricity duty levied, any rule, notification, inspection, order or notice made or issued, shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, continue to be in force and be deemed to have been done or taken or made in exercise of the powers conferred by or under the provisions of this Act as if this Act was in force on the date on which such thing was done or such action was taken unless and until it is superseded by or under this Act and the electricity duty and other amount due under the Act, so repealed, may be collected as if they have accrued under this Act.

---

### **STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

Ever since enactment of the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 1975, the various policy decisions of the Government have undergone changes from time to time. In order to keep pace with the changing scenario, it has become necessary to replace the existing Act by the more effective and comprehensive Legislation. Thus, it has been decided to repeal the existing Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 1975 and to bring the Himachal Pradesh Electricity Duty Bill, 2009, which may provide for levy of Electricity Duty to different categories of consumers on different scales and subsequent revision in Electricity Duty on percentage basis from the effective date of implementation of the revised tariff by the Himachal Pradesh State Electricity Board. Further, in order to make the Act more effective, the penal provision has been made more stringent.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**PREM KUMAR DHUMAL,  
CHIEF MINISTER.**

**Shimla :**

**The , 2009.**

---

### **FINANCIAL MEMORANDUM**

Clause 3 of the Bill, seeks to levy electricity duty on consumption of electricity by the various categories of consumers on percentage basis which is likely to yield approximately Rs. 28 Crore per annum to the State Exchequer.

## **MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

Clause 15 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying into the effect the provisions of this Act. This delegation of powers is essential and normal in character.

---

### **RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA.**

**(File No. MPP-A(4)-11/2008)**

The Governor, Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of Himachal Pradesh Electricity (Duty) Bill, 2009, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction in and consideration by the Legislative Assembly of the said Bill.